## न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.

प्रकरण सं.:–151/2024

वादपत्र अर्न्तगत धारा:– 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अमृतदेव पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

–वादी

बनाम

1.रघुवीर चौधरी पुत्र अमृतदेव जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ 2. इन्द्रामोहिनी पत्नी सूरजकिरण जाति जाट निवासी बोलावाली 3. पारूल पत्नी औंकार चौधरी पुत्र सूरजकिरण जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया 4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा संगरिया 5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

1. श्री भीमसिंह छिम्पा एड. – वादी
2. श्री संजीव बिश्नोई एड.– प्रति.सं. 1 ता 3
3. श्री रविन्द्रकुमार एड़ – प्रतिवादी सं. 4

दिनांक– 5.6.2024

### निर्णय

वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि चक 16 बी.जी.पी. जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार संवत 2070 से 2073 खाता सं. 6/5 का कुल खाता 5.566 है. वादी अमृतदेव के नाम तथा इसी चक 16 बी.जी. पी. का खाता सं. 103/54 का कुल खाता 3.795 है. वादी के पुत्र प्रतिवादी सं. 01 रघुवीर चौधरी पुत्र अमृतदेव के नाम तथा चक 6 ए.एम.पी. का खाता सं. 11/7 जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार संवत 2071 से 2074 के कुल सांझा खाता 4.680 है. में से 2087/2340 हिस्सा व चक 7 ए.एम.पी. का खाता सं. 6/96 का कुल खाता 1.012 है. प्रतिवादीया सं. 01 इन्द्रामोहिनी पत्नी सूरजकिरण के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड प्रमाणति जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है। कि वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित वादभूमि को लेकर वादी का प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के मध्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विरचित प्रावधानो के तहत रास्ता खाला व अच्छी मन्दी भूमि को लेकर काश्त की सुविधानुसार ब्राहमी घरा घरू बंटवारानामा हो चुका है। घरा घरू बंटवारानामा में वादी ने चक 16 बी.जी.पी. के खाता सं. 6/5 में अपने नाम दर्ज समस्त हिस्सा प्रतिवादी सं. 2. इन्द्रामोहिनी पत्नी सूरजकिरण के पक्ष में छोड़ दिया है व उसकी ऐवज में वादी ने चक 6 ए.एम.पी. के खाता सं. 11/7 में प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज 2087/2340 हिस्सा व चक 7 ए.एम. पी. के खाता सं. 6/96 में दर्ज 1.012 है. हिस्सा प्राप्त कर लिया है। तथा चक 16 बी.जी.पी. के खाता सं. 103/54 में प्रतिवादी सं. 1 रघुवीर चौधरी ने अपने नाम दर्ज हिस्सा समस्त प्रतिवादी सं. 3 पारूल के पक्ष में छोड़ रखा है। तथा उसकी ऐवज प्रतिवादी सं. 1 ने अपना हिस्सा चक 6 ए.एम.पी. के खाता सं. 73/66 में प्राप्त कर रखा है। घरा घरू बंटवारानामा के रोज से वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की घरा घरू बंटवारा में मिली वादभूमि पर शान्ती पूर्वक कब्जा काश्त है। कब्जा काश्त को लेकर आज वादी व प्रतिवादीगण के बीच कोई विवाद नही है। घरा घरू बंटवारानामा अनुसार वादभूमि का वादी खातेदार काश्तकार कहलाने का अधिकारी एंव दावेदार है। कि घरा घरू बंटवारानामा अनुसार वादभूमि आज वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 17:33:58
Reason: SelfAttested

–2–

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण बिना वजह सिंव बट रकमराज आबयाना व पानी की बारी तथा कृषि ऋण इत्यादि को लेकर बिना वजह विवाद रहता है। जबकि वादी घरा घरू बंटवारानामा अनुसार वादभूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एंव दावेदार है। कि गत सप्ताह वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वो वादभूमि में घरा घरू बंटवारानामा अनुसार हिस्सा में आयी वादपत्र की चरण सं. 4 में वर्णितानुसार कब्जा काश्त की भूमि का मुझ वादी को खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवे। तो वो पहले तो आजकल आजकल करते रहे परन्तु कल ऐसा करने से स्पष्ट ईन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 02.5.2024 वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 ने राजीनामा प्रार्थना पत्र अं. आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत पेश किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। जबाव स्टेट पेश हुआ। व दिनांक 6.5.2024 को प्रतिवादी सं. 04 बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार भोबिया जबाव दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी के वाद का कोई विरोध पत्रावली पर नही आने के कारण विवाद्यक बिन्दु कायम नही किये गये जाकर साक्ष्य वादी करवाये गये। साक्ष्य वादी में वादी अमृतदेव ने अपनी साक्ष्य में शपथ पत्र अं. आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया जिसने अपने ब्यान हल्फनामा में अपने वादपत्र के साथ पेश जमाबन्दीयो को प्रद्रर्शित करवाया। जो प्रर्दश 1 से 5 व राजीनामा प्रर्दश 6 है तथा ओर साक्ष्य वादी व प्रतिवादीगण नही करवाना चाहते है साक्ष्य बन्द की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गई वादी व प्रतिवादीगण के अभिभाषक ने मुताबिक राजीनामा वादपत्र डिक्री किये जाने का कथन अपनी बहस में किया।

हमारे द्वारा उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया व वादी की ओर से पेश राजस्व रिर्काड जमाबन्दीयो तथा ब्यान गवाहान अमृतदेव की साक्ष्य व राजीनामा व विरास्तन दस्तावेज आदि का अवलोकन करने से वादी का वाद राजीनामा मुताबिक पूर्ण रूप से सिद्व है। इसलिए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वादपत्र राजीनामा मुताबिक डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है। कि वादी घरा घरू बंटवारानामा अनुसार चक 6 ए.एम.पी. के खाता सं. 11/7 व चक 7 ए.एम.पी. के खाता सं. 6/96 में प्रतिवादीया संख्या 3 इन्द्रामोहिनी के नाम दर्ज भूमि का व चक 16 बी.जी.पी. के खाता सं. 6/5 में वादी अमृतदेव के नाम दर्ज भूमि की प्रतिवादीगण संख्या 3 इन्द्रामोहिनी तथा चक 16 बी.जी.पी. के खाता सं. 103/54 में प्रतिवादीगण सं. 1 रघुवीर चौधरी पुत्र अमृतदेव के नाम दर्ज भूमि की प्रतिवादीगण संख्या 3 पारूल खातेदार काश्तकार है। व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 5.6.2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.06.18 17:33:58 IS
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी )

**अज अदालत – सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी, संगरिया**

**बईजलास – राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)**

---

अमृतदेव पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

–वादी

**बनाम**

1. रघुवीर चौधरी पुत्र अमृतदेव जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ 2. इन्द्रामोहिनी पत्नी सूरजकिरण जाति जाट निवासी बोलावाली 3. पारूल पत्नी औंकार चौधरी पुत्र सूरजकिरण जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया 4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा संगरिया 5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

**वाद बाबत घोषणात्मक हक** **मुकदमा संख्या 151/2024**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री भीमसिंह छिम्पा एड. मिन जामिन मुदई श्री संजीव बिश्नोई एड, श्री रविन्द्र कुमार भोबिया एड़ मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :– अतः वादी का वादपत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि वादी राजीनामा अनुसार चक 6 ए.एम.पी. के खाता सं. 11/7 व चक 7 ए.एम.पी. के खाता सं. 6/96 में प्रतिवादीया संख्या 3 इन्द्रामोहिनी के नाम दर्ज भूमि का व चक 16 बी.जी.पी. के खाता सं. 6/5 में वादी अमृतदेव के नाम दर्ज भूमि की प्रतिवादीगण संख्या 3 इन्द्रामोहिनी तथा चक 16 बी.जी.पी. के खाता सं. 103/54 में प्रतिवादीगण सं. 1 रघुवीर चौधरी पुत्र अमृतदेव के नाम दर्ज भूमि की प्रतिवादीगण संख्या 3 पारूल खातेदार काश्तकार है। तथा चक 6 ए.एम.पी. के खाता सं. 11/7 व चक 7 ए.एम.पी. के खाता सं. 6/96 में प्रतिवादीया संख्या 3 इन्द्रामोहिनी का नाम कलमजन कर हिस्सा वादी के नाम व चक 16 बी.जी.पी. के खाता सं. 6/5 से वादी अमृतदेव का नाम कलमजन कर हिस्सा प्रतिवादीया संख्या 3 इन्द्रामोहिनी के नाम तथा चक 16 बी.जी.पी. के खाता सं. 103/54 में प्रतिवादीगण संख्या 1 रघुवीर चौधरी पुत्र अमृतदेव का नाम कलजन कर समस्त हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 3 पारूल के नाम दर्ज किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

नोटः– संबधित बैंक का ऋण चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्तानुसार रकम राज कायम कर किया जावें।

निज....X.... मुब्लिक ...X.... बाबत ....X.... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयाबी तक ....X.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दरतख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 5.6.2024 को जारी किया ....।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.06.18 17:33:58 IST
Reason: SelfAttested

( राकेश कुमार मीना )

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

संगरिया

उपखण्ड अधिकारी संगरिया